L. A. BILL No. XXVI OF 2021.

A BILL
FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA PUBLIC UNIVERSITIES ACT, 2016.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक २६ सन् २०२१।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने संबंधी विधेयक।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था ;

सन् २०१७ का महा. ६।

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए, सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था ; और, इसलिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, ६ अक्तूबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था ;

सन् २०२१ का महा. अध्या. क्रमांक ८।

(शा.म.मु.) एचबी ११०० (५०–१२-२०२१)

और क्योंकि उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियमों बदलना इष्टकर है ; अतः, भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भण।

१. (१) यह अधिनियम महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२१ कहलाये।

(२) यह ६ अक्तूबर २०२१ को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सन् २०१७ का महा. ६ की धारा १०९ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (जिसे इसमें आगे, "मूल अधिनियम" कहा गया है) सन् २०१७ का महा. ६। की धारा १०९ की,—

(१) उप-धारा (३) के, खण्ड (घ) के, तृतीय परंतुक के स्थान में, निम्न परंतुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु आगे यह कि, अकादमिक वर्ष २०२१-२०२२ के लिए नए महाविद्यालय या उच्चतर अध्ययन की संस्था खोलने के लिए कोई आवेदन करने, संकाय बोर्ड द्वारा आवेदन की संवीक्षा करने और उसे प्रबंध परिषद के अनुमोदन के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित करने तथा राज्य सरकार द्वारा आशय पत्र अनुदत्त करने का दिनांक विस्तारित करने की दृष्टि से, निम्न दिए गए तालिका के, स्तंभ (२) में यथा विनिर्दिष्ट उप-धारा (३) के खण्ड (क) (ग) और (घ) में निर्दिष्ट दिन और दिनांक उक्त तालिका के स्तंभ (३) में यथा उपबंधित रूप में पढ़ी जायेगी :—

खण्ड	विद्यमान उपबंधों में उपबंधित दिन और दिनांक	अकादमिक वर्ष २०२२-२३ के लिए उपबंधित दिन और दिनांक
(१)	(२)	(३)
(क)	जिस वर्ष में आशय पत्र चाहा गया है के पूर्ववर्ती वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक के पूर्व।	३१ अक्तूबर २०२१ पर या के पूर्व।
(ग)	उस वर्ष के, जिस वर्ष में ऐसा आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुआ के, ३० नवम्बर को या के पूर्व।	३१ दिसम्बर २०२१ पर या के पूर्व।
(घ)	तुरंत अनुवर्ती वर्ष के ३१ जनवरी पर या के पूर्व।	२८ फरवरी २०२२ पर या के पूर्व ।" ;

(२) उप-धारा (४) के खण्ड (क) में, विद्यमान उपबंधों के स्थान में, निम्न परन्तुक, रखा जायेगा, अर्थात् :—

"परंतु नये पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, अतिरिक्त प्रभाग या अनुगामी केंद्र शुरू करने की अनुमति चाहनेवाला प्रबंध मंडल, ३१ अक्तूबर २०२१ पर या के पूर्व रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा।"।

सन् २०२१ का महा. अध्या. क्रमांक ८ का निरसन तथा व्यावृत्ति।

३. (१) महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१, एतद्द्वारा, निरसित किया जाता है। सन् २०२१ का महा. अध्या. क्रमांक ८।

(२) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत कोई बात, या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन कृत की गई, या यथास्थिति, जारी की गई समझी जायेगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ (सन् २०१७ का महा. ६) की धारा १०९, नए महाविद्यालय या नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, प्रभाग या अनुगामी केंद्र खोलने के लिए अनुमति देने की प्रक्रिया का उपबंध करती है। उक्त धारा १०९ की, उप-धारा (३) का खण्ड (क), यह उपबंध करता है कि, नए महाविद्यालय या उच्चतर अध्ययन की संस्था खोलने के लिए आशय पत्र चाहनेवाला प्रबंधमंडल, उस वर्ष के, जिस वर्ष में आशय पत्र चाहा गया है, पूर्ववर्ती वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक के पूर्व, रजिस्ट्रार को, विहित प्ररुप में, आवेदन कर सकेगा । उक्त उप-धारा (३) का खण्ड (ग) यह उपबंध करता है कि, विहित समय सीमा के भीतर, प्राप्त आवेदन संकायाध्यक्ष द्वारा संवीक्षित किया जायेगा और जिस वर्ष में ऐसा आवेदन विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त हुआ है, उस वर्ष के ३० नवम्बर को या के पूर्व प्रबंधमंडल परिषद के अनुमोदन के साथ राज्य सरकार को अग्रेषित किया जायेगा। उसका खण्ड (घ) यह उपबंध करता है कि, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय सिफारिश करने के पश्चात्, तुरंत अनुवर्ती वर्ष के ३१ जनवरी को या के पूर्व आशयपत्र अनुदत्त कर सकेगा। उसी तरह, उक्त धारा १०९ की, उप-धारा (४) का खण्ड (क) यह उपबंध करता है कि नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, अतिरिक्त विभाग या अनुगामी केंद्र खोलने की अनुमति चाहनेवाला प्रबंधमंडल, जिस वर्ष में अनुमति चाही गई है के पूर्ववर्ती वर्ष के सितम्बर के अंतिम दिनांक के पूर्व रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा ।

२. कोविड-१९ महामारी के प्रादुर्भाव के कारण, नए महाविद्यालय या नए पाठ्यक्रम, विषय, अनुशासन, संकाय, अतिरिक्त प्रभाग या अनुगामी केंद्र विहित अवधि के भीतर कार्यान्वित नहीं हों सके और संबंधित अकादमिक वर्ष के लिए, उसी के लिए नई समय सूची विनिर्दिष्ट करना इष्टकर समझा गया था।

इस प्रयोजन के लिए उक्त धारा १०९ में यथोचित निम्न संशोधन करना इष्टकर समझा गया था, ताकि नई समय सूची विनिर्दिष्ट करने के लिए उपबंध कर सकें,—

(क) नए महाविद्यालय या उच्चतर अध्ययन की संस्था खोलने के लिए आवेदन करने का दिनांक ;

(ख) संकाय बोर्ड द्वारा आवेदन की संवीक्षा करने का दिनांक और प्रबंधमंडल परिषद के अनुमोदन के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रेषित करने का दिनांक ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा आशयपत्र को अनुदत्त करने का दिनांक ; और

(घ) नए पाठ्यक्रम, विषय, संकाय, अतिरिक्त प्रभाग या अनुगामी केंद्र शुरू करने के लिए अनुमति माँगने के लिए आवेदन करने का दिनांक।

३. चूँकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा था और महाराष्ट्र के राज्यपाल का यह समाधान हो चुका था कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान थीं जिनके कारण उन्हें इसमें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय अधिनियम, २०१६ में अधिकतर संशोधन करने के लिए सद्य कार्यवाही करना आवश्यक हुआ था, अतः यह महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा, महाराष्ट्र लोक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०२१ (सन् २०२१ का महा. अध्यादेश क्रमांक ८) ६ अक्तूबर २०२१ को प्रख्यापित हुआ था।

४. प्रस्तुत विधेयक का आशय, उक्त अध्यादेश को राज्य विधानमंडल के अधिनियम में बदलना हैं।

मुंबई,
दिनांकित २५ नवम्बर, २०२१।

उदय सामंत,
उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा मंत्री।

(यथार्थ अनुवाद),

विजया ल. डोनीकर,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित ९ दिसंबर, २०२१।

राजेन्द्र भागवत,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई